रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या 721 /अभि.अनु./राविप्रा/2024-25/2024 दिनांक 10-10-2024

ई-प्रोक्योरमेण्ट निविदा सूचना

रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु जिनकी लागत सम्मुख तालिका में अंकित है, प्रतिशत दर पर निविदा टू-बिड सिस्टम पर आधारित शासकीय विभागों में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू० लाख में)	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी०एस०टी० सहित)	निविदा वैधता अवधि	कार्य समाप्ति की अवधि	निविदा डालने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि	ठेकेदार की पंजीकरण श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अमोल विहार योजना में 04 मिनी एम०आई०जी० एक मंजिला भवनों का निर्माण कार्य।	8401000.00	1.69	3540.00	03 माह	18 माह	13.11.2024	14.11.2024	बी
2.	अमोल विहार योजना में क्षतिग्रस्त सड़कों, नालियों एवं जल नलिकाओं की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य।	4220253.00	2.12	2360.00	03 माह	06 माह	13.11.2024	14.11.2024	सी
3.	अपनी रायबरेली एवं रमणीय रायबरेली के अन्तर्गत अस्पताल चौराहे के सुन्दरीकरण का कार्य।	2179515.00	1.09	2360.00	03 माह	03 माह	11.11.2024	12.11.2024	सी
4.	अपनी रायबरेली एवं रमणीय रायबरेली के अन्तर्गत जिलाधिकारी आवास के समक्ष दीवारों की पेन्टिंग का कार्य।	1803599.00	0.91	2360.00	03 माह	04 माह	11.11.2024	12.11.2024	सी
5.	मुंशीगंज शहीद स्मारक के पास भारत माता मन्दिर एवं सई नदी पुल पर सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत लाइटिंग का कार्य।	997960.00	0.5	1770.00	03 माह	03 माह	11.11.2024	12.11.2024	डी

शर्तेः-

1. ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदायें प्रकाशित होने की तिथि **21.10.2024**
2. बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता एवं बिड-सबमिट करने का माध्यमः-
   - (क) क्रमांक-01 से 05 में अंकित कार्य के लिए **बिड डाक्यूमेन्ट आन लाइन उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-8 में अंकित तिथि तक सबमिट** किये जा सकते है, जो आन लाइन https://etender.up.nic.in पर ही सबमिट किया जायेगा।
   - (ख) निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेब-साइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदायें आन-लाइन डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइंग अथोरिटी द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
   - (ग) निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र रायबरेली विकास प्राधिकरण को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा सबमिट करने की अन्तिम तिथि तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नान-रिस्पान्सिव घोषित कर दी जायेगी।
     1. निविदा मूल्य सम्बन्धी मूल डिमाड ड्राफ्ट।
     2. बिड सिक्योरिटी (बिड डाक्यूमेण्ट के अनुसार अनुमन्य रूप में) मूल में देय होगी।
3. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
   - (घ) निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाताओं द्वारा क्रम संख्या-2(ग) में वर्णित प्रपत्रों को लिफाफे मे वन्द कर रायबरेली विकास प्राधिकरण के अभियंत्रण अनुभाग में जमा कराना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ड़) ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदायें डालने की अन्तिम तिथि स्तम्भ-8 में लिखित तिथियों तक सायं 5.00 बजे तक डाली जायेंगी एवं तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित तिथि को निविदा दोपहर 12.00 बजे से खोली जायेगी।

4. निविदा के साथ धरोहर धनराशि उपरोक्त तालिका के अनुसार ली जायेगी। कुल जमानत धनराशि कार्य के लागत की 10 प्रतिशत होगी, जो कार्य के संतोषजनक होने पर 12 माह पश्चात् वापस की जायेगी।
5. यदि निविदित दरें शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2आडिट/08टी0सी0-02 लोक निर्माण अनुभाग-12 दिनांक 08.06.2012 में उल्लिखित दरों से निम्न होगी तो नियमानुसार अतिरिक्त जमानत राशि/परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी।
6. निविदा स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को 10 दिन के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
7. प्राप्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली में निहित होगा।
8. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार को अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे।
9. ठेकेदार द्वारा निविदा में दरें उसी विधि से भरी जायेंगी जिस विधि से निविदा प्रपत्र में मांगी गयी है।
10. निविदा प्रपत्र पर जो पता ठेकेदार द्वारा अंकित किया जायेगा वही पता पत्राचार हेतु मान्य होगा।
11. ठेकेदार द्वारा उक्त शर्तों के साथ निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य शर्तों तथा विशेष शर्तों का अनुपालन भी अक्षरशः करना होगा। ऐसा न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
12. सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
13. निविदा भरते समय सम्बन्धित ठेकेदार/फर्मो को प्रार्थना पत्र के साथ **टी-4 व टी-5** की स्कैन प्रति लगाना अनिवार्य होगा।
14. अनुसूचित जति से सम्बन्धित फर्मो/ठेकेदारों से 05 प्रतिशत के स्थान पर 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि ली जायेगी।
15. समस्त ठेकेदार/फर्मे प्राधिकरण में पंजीकृत श्रेणी से एक स्तर नीचे तक ही निविदायें डाल सकेंगे।
16. तकनीकी बिड पी0डी0एफ0 फारमेट में होगी, जिसके अन्तर्गत टी0-4, टी-5 की स्कैन प्रति, सम्बन्धित कार्य हेतु एफ0डी0आर0/के0वी0पी0/एन0एस0सी0 की स्कैन प्रति एवं निविदा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति एवं फर्म के अन्य तकनीकी अर्हता हेतु आवश्यक अभिलेख पी0डी0एफ0 में डाले जायेंगे। इस पी0डी0एफ0 में शेड्यूल जी एवं निविदा की दरों से सम्बन्धित अभिलेख नही होगा। शेड्यूली 'जी' तथा निविदा की दरें को उद्घृत करने वाला प्रपत्र इन्टरनेट पर एक्सेल पर उपलब्ध शेड्यूल जी में भरना होगा।
17. कमांक-03 पर अंकित कार्य पर उक्त प्रकार के अनाटमेन्टल कार्य करने का पिछले 05 वर्षो के वर्क आर्डर एवं परफारमेन्स सर्टीफिकेट तथा बिडर को एल0एम0-79, एल0एल0-80, टी0टी0सी0, बी0आई0एस0, टी0डी0एस0 एवं आई0पी0-65/66 सर्टीफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा।
18. कमांक-04 पर अंकित कार्य हेतु फर्म के पास वॉल पेन्टिंग करवाने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर आफ फाइन आर्ट परीक्षा पास किये हुए आर्टिस्ट का होना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19. कमांक-05 पर अंकित कार्य हेतु बिडर के पास ओ0ई0एम0 द्वारा अथराइजेशन प्रमाण पत्र एवं इस प्रकार के अर्नामेन्टल लाइटिंग हेतु किये गये कार्य का प्रमाण पत्र, एल0एम0-79 रिपोर्ट, बी0आई0एस0 सर्टीफिकेट निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
20. निविदादाता किसी भी सरकारी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नही है, इस आशय का शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
21. कमांक-1 पर 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि व कमांक-02 से 05 तक 05 प्रतिशत धरोहर धनराशि ली जायेगी।
22. विस्तृत विवरण https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है।

(एम0 अहमद)
अधिशासी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदया को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रा0वि0प्रा0 ।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक.. को कमश रू0 .... सीमान्तर्गत समाचार पत्र के आगामी अंक मे प्रकाशनोपरान्त बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
5. विकास प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner